न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 058/2015 (GCMS 2015/00023)	दायर दिनांक 22.12.2015	निर्णय दिनांक 15.04.2021

अनवान

1. श्रीमती मोहनी बाई पुत्री खुमगर पत्नि शिव जाति गुसाई उम्र 60 वर्ष निवासी मेडीखेडा, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. मांगी पुत्री खुमगर पत्नि मांगू जाति गुसाई उम्र 58 वर्ष निवासी मेडीखेडा, हाल मुकाम सोनियाणा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. प्रेम पुत्री खुमगर पत्नि लेहरूजी जाति गुसाई उम्र 56 वर्ष निवासी मेडीखेडा, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. शांती पुत्री खुमगर पत्नि जगदीश उम्र 54 वर्ष निवासी मेडीखेडा, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

निगराकारान

बनाम

1. लालगिरी पिता खुमगर जाति गुसाई उम्र 45 वर्ष निवासी मेडीखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम गुसाईयों का मौहल्ला लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. ग्राम पंचायत सुवानिया पंचायत समिति व तहसील गंगरार जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

गैर निगराकार

–:: निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत सुवानिया पंचायत समिति गंगरार, तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ पट्टा मिसल संख्या 33 आदेश दिनांक 21.08.2013 पट्टा जारी करने की तिथि 26.08.2013 संकल्प संख्या 4 अन्तर्गत धारा 97 सपठित धारा पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत ::–

उपस्थिति :– श्री दिनेश मौड — निगराकारान
श्री केजी व्यास — गैर निगराकार संख्या 1
अनुपस्थित — गैर निगराकार संख्या 2

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकारान ने एक निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सुवाणिया का मिसल संख्या 33 दिनांक 21.08.2013 को गैर निगराकार क्रमांक 1 लालगर को पट्टा जारी करने का आदेश जारी करने में न्याय नियमों एवं वाकियाती तथ्यों की भारी भूल की है जिससे ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम भवानीपुरा में निगराकार की पैतृक पुश्तैनी गुवाडी का पट्टा अकेले लालगिरी के नाम गलत तरीके से जारी किया है। उक्त गुवाडी निगराकार के पिता खुमगिरी गुसाई की पैतृक, पुश्तैनी जायदाद है। खुमगिरी की मृत्यु हो गई थी। स्वर्गीय खुमगिरीजी का वारिसान सजरा मुताबिक निगरानी है। सजरे अनुसार निगराकार/प्रार्थीगणो का प्रत्येक का 1/5-1/5 हिस्सा पैतृक पुश्तैनी गुवाडी में बहैसियत विरासत से है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत पुत्रियों, पुत्र का बराबर-बराबर हक हिस्से का प्रावधान विधि अनुसार जन्म से है। इस तथ्य को नजर अंदाज कर ग्राम पंचायत ने अकेले लालगिरी के नाम पट्टा जारी करने में भारी भूल की है। और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 का खुला उल्लंघन कर पट्टा जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार क्रमांक 1 लालगर ने झूठा शपथ पत्र एवं फर्जी तथ्य बताये है जिससे पट्टा एवं आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत मेडीखडा पटवार हल्का सुवानिया में मृतक लालगर की कृषि भूमि खतोनी संख्या 76 में दर्ज है जिसमें मृतक खुमगिरी की मृत्यु पर वारिसान निगराकार मोहनी, मांगी, प्रेम, शांति व लालगिरी को वारीसान मानते हुए तहसीलदार साहब गंगरार ने नामान्तरण संख्या 278 दिनांक 05.06.2013 को संयुक्त खातेदारी में दर्ज किया है जिससे प्रमाणित है। राजस्व रेकार्ड में मृतक खुमगर के वारिसान निगराकार संख्या 01 से 04 व गैर निगराकार संख्या 01 हैं। राजस्व रेकार्ड में दर्ज वारीसान की जांच किये बगैर पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत ने भारी भूल की है। जिससे ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। पुष्टि में जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत है। ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत में लालगिरी ने कब आवेदन दिया उसकी तारीख मिति अंकित नहीं है। गांव का नाम उल्लेख नहीं है तथा गुवाडी के वैद्य वारिसान होने का कोई दस्तावेज भी रेकार्ड पर नहीं होते हुए दिनांक 26.06.2015 को दर्ज रजिस्टर करने में भारी भूल की है तथा राजस्थान पंचायत नियम 1996 के नियम 146 के तहत वारिसान की जांच किये बगैर सदस्यों की नियुक्ति की है। उक्त गुवाडी के रामचन्द्र व नारायण पडौसी भी नहीं है। गुवाडी के पडौस उत्तर में भीमा जाट व कमालुद्दीन का मकान, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम में आम रास्ता वर्णित किया है। उक्त पडौसियों से कोई जांच नहीं की गई। लालगिरी गैर निगराकार के आवेदन में वर्णित पडौस व पट्टे में वणित पडौस में भारी भिन्नता है। आवेदन में वर्णित पडौस से पट्टे में वर्णित पडौस में भिन्नता होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से प्रथम दृष्टया ही अवैध एवं गैर कानूनी पट्टा जारी करना प्रमाणित है, नक्शा जो तैयार किया है उसमें पडौस भी भिन्न–भिन्न दर्शाये गये है। नक्शा लाल गिरी ने बनवाया उसके पडौस पट्टे व आवेदन से मैल नहीं खाते है। निरीक्षण रिपोर्ट नियम 146 के विरूद्ध तैयार कर नियमों का खुला उल्लंघन किया है। स्वामित्व विवादित है। गैर निगराकार के द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड, पहचान पत्र, शपथ पत्र में निवासी मेडीखेडा अंकित है जबकि पट्टा ग्राम भवानीपुरा का जारी करना बताया है जो भी भिन्नता स्पष्ट है। सूचना पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया है वह किसी को भी तामिल होना प्रमाणित नहीं है। शपथ पत्र में ही पडौस भिन्न है। आवेदन शपथ पत्र में भी पट्टा पैतृक पुश्तैनी बापोती का होना प्रमाणित है। व निगराकार का हिस्सा भी हर तरह प्रमाणित है जिससे ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत के नियमों एवं कानून को नजर अंदाज कर पट्टा जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत ने एक तरफा आदेश पारित किया उसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी। गुप्त रूप से निगराकार को बिना नोटिस दिये बिना सुनवाई का अवसर दिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन कर एक तरफा पट्टा जारी किया है जिसकी कतई जानकारी निगराकार को नहीं हुई। सर्व प्रथम जानकारी निगराकार को बंटवारे का वाद जिला न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ के यहां प्रस्तुत कर रखा है जिसके प्रकरण संख्या 39/2015 है उसमें दिनांक 08.12.2015 को गैर निगराकार संख्या 1 लालगिरी ने जवाब प्रस्तुत कर बताया कि गुवाडी का पट्टा उसके नाम ग्राम पंचायत ने जारी कर रखा है। जवाब देने से जानकारी होते ही ग्राम पंचायत में जाकर नकल आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने की नकले दिनांक 17.12.2015 को दी गई और निगरानी तैयार करवा बिना किसी देरी से आज निगरानी प्रस्तुत है। इस प्रकार देरी जानकारी के अभाव में हुई है। ग्राम पंचायत का आदेश अवैध गैर कानूनी होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने से अवैध आदेश को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। देरी से निगरानी प्रस्तुत करने हेतु दफा 5 कानून मियाद आवेदन व शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार/प्रार्थीगण की निगरानी । स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत सुवानिया का पट्टा जारी करने का आदेश निरस्त फरमाया जाकर निगराकार को सुनकर तथा वारिसान की जांच करा सभी वारिसान के नाम पट्टा जारी करने का आदेश प्रदान करावे।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 29.01.2016 को गैर निगराकार संख्या 1 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 26.04.2017 को गैर निगराकार संख्या 1 की और से जवाब निगरानी पेश किया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपने जवाब निगरानी में गैर निगराकार संख्या ने निगरानी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि ग्राम पंचायत सुवानिया द्वारा दिनांक 26.08.2013 को पट्टा संख्या 33 विपक्षी उत्तरदाता को विधि अनुसार जारी कर रसीद संख्या 85 दिनांक 20.09.2013 से राशि 200/–रू जमा कर पट्टा जारी किया और उक्त पट्टे को ग्राम पंचायत सुवानिया के पदेन सरपंच द्वारा विपक्षी उत्तरदाता के पक्ष में उप पंजीयक गंगरार के यहां पंजीकृत किया गया। ग्राम पंचायत की समस्त कार्यवाहियां विधि अनुसार की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम भवानीपुरा के उक्त आवासीय पट्टे को विधि अनुसार विपक्षी उत्तरदाता को जारी किया है। जिसमें प्रार्थीगण निगराकार का कोई हक अधिकार कब्जा उपयोग उपभोग नहीं है। उक्त भूखण्ड जायदाद विपक्षी उत्तरदाता वैधानिक अधिकार एवं आधिपत्य की है जिसके आधार पर ग्राम पंचायत ने विधि अनुसार विपक्षी उत्तरदाता के पक्ष में पट्टा जारी किया है और पंजीकृत करवाया है। प्रार्थीगण ने उक्त जायदाद में विरासत से उनका हिस्सा होना गलत अंकित किया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार विपक्षी उत्तरदाता के तन्हां वैधानिक आधिपत्य कब्जे उपयोग उपभोग के भूखण्ड मकान प्रार्थीगण/निगराकार का कोई वैधानिक अधिकार नहीं बनता है।विपक्षी गैर निगराकार ने ग्राम पंचायत में विधि अनुसार कार्यवाहियां प्रस्तुत की है जिसके आधार पर पट्टा जारी किया गया है। मृतक लालगर की कृषि भूमि का कोई नामान्तरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं खोला गया। ग्राम पंचायत ने उक्त भूखण्ड के संदर्भ में विधिवत रूप से जांच कर पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत ने नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपना कर ही पट्टा जारी किया है। प्रार्थीगण उक्त गुवाडी भूखण्ड के संदर्भ में कोई कानूनी अधिकार नहीं रखती है। राजस्थान पंचायत राज नियम के कानूनी प्रावधानों के तहत सभी प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। प्रार्थीगण ने इस चरण में उक्त भूखण्ड के पडौसो के संदर्भ में मनगढन्त व काल्पनिक तथ्य अंकित किये है जिससे यह प्रमाणित है कि प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत किया है। मौके की स्थिति अनुसार ही ग्राम पंचायत ने विधि अनुसार पट्टा जारी किया है। मौके की रिपोर्ट भी विधि अनुसार बनाई गई थी। मेडीखेडा एवं भवानीपुरा एक ही गांव के नाम है। प्रार्थीगण ने केवल भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने के लिए एवं मिथ्या तथ्य अंकित करने की दृष्टि से गलत तथ्य अंकित किया है। ग्राम पंचायत द्वारा आम सूचना विधिवत जारी की गई है। निगराकार/प्रार्थीगण का विवाह कई वर्षो पूर्व हो चुका है और सभी अपने–अपने ससुराल में रह रही है। निगराकार शांति ने उसके विवाहित पति कैलाश पुरी को छोड कर अन्य जाति के जगदीश नामक व्यक्ति से विवाह कर लिया है जो उसके साथ रह रही है। प्रश्नगत भूखण्ड मकान में किसी भी निगराकार का कोई कब्जा उपयोग–उपभोग नहीं है। हमारे पिताजी को गुजरे हुए करीब 40 साल हो चुके है और गैर निगराकार विकलांग (दिव्यांग) है इस स्थिति का नाजायज लाभ उठाने का प्रयास निगराकार द्वारा किया जा रहा है एवं येन–केन प्रकारेण उत्तरदाता को

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

परेशान करने की नियत से यह गलत तथ्य अंकित कर निगरानी प्रस्तुत की है जो निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी गैर निगराकार को जारी पट्टे की जानकारी प्रारंभ से ही रही है। निगराकार प्रार्थीगण ने विपक्षी को परेशान करने की नियत से जिला न्यायधीश महोदय में भी वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमे निगराकार प्रार्थीगण द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैर निगराकार प्रस्तुत किया था जिसके प्रकरण संख्या 39/2015 विविध दीवानी में न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2015 को निर्णय व आदेश पारित कर उक्त निगराकार के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का आदेश पारित फरमा रखा है जो यथावत है। निगराकार बिना वजह मुकदमेबाजी कर रही है। ग्राम पंचायत का आदेश विधिक प्रकिया अपना कर पारित किया गया है। तथा पट्टा जारी किया है जो सही है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार उत्तरदाता के पक्ष में आबादी भूखण्ड मकान का पट्टा जारी कर उप पंजीयक कार्यालय गंगरार में पंजीकृत करवा रखा है इस कारण पंजीकृत दस्तावेज के संदर्भ में केवल सिविल न्यायालय में ही चाराजोही की जा सकती है। निगरानी माननीय न्यायालय क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। पूर्व में निगराकार प्रार्थीगण द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में इसी भूखण्ड के संबंध में इन्हीं पक्षकारों के मध्य सिविल वाद दर्ज होकर विचाराधीन है। इस कारण भी यह निगरानी प्रार्थना पत्र विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है। निगरानी मियाद बाहर होने से भी निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण/निगराकार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे। गैर निगराकार संख्या 1 की और से प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सुवानिया से मूल अभिलेख तलब किया गया। इस पर ग्राम विकास अधिकारी सुवानिया के पत्रांक/पं/2020 दिनांक 02.03.2020 से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ जो कि पत्रावली के हम किता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत सुवानिया पंचायत समिति गंगरार द्वारा प्रकरण में मूल मिसल प्रेषित नहीं की गई है।

प्रकरण में बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली में निगरानी मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सुवाणिया का मिसल संख्या 33 दिनांक 21.08.2013 को गैर निगराकार क्रमांक 1 लालगर को पट्टा जारी करने का आदेश जारी करने में न्याय नियमों एवं वाकियाती तथ्यों की भारी भूल की है जिससे ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम भवानीपुरा में निगराकार की पैतृक पुश्तैनी गुवाडी का पट्टा अकेले लालगिरी के नाम गलत तरीके से जारी किया है। उक्त गुवाडी निगराकार के पिता खुमगिरी गुसाई की पैतृक, पुश्तैनी जायदाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। खुमगिरी की मृत्यु हो गई थी। स्वर्गीय खुमगिरीजी के वारिसान होने से मुताबिक सजरा अनुसार निगराकार/प्रार्थीगणो का प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा पैतृक पुश्तैनी गुवाडी में बहैसियत विरासत से है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत पुत्रियों, पुत्र का बराबर–बराबर हक हिस्से का प्रावधान विधि अनुसार जन्म से है। इस तथ्य को नजर अंदाज कर ग्राम पंचायत ने अकेले लालगिरी के नाम पट्टा जारी करने में भारी भूल की है। ग्राम पंचायत मेडीखडा पटवार हल्का सुवानिया में मृतक लालगर की कृषि भूमि खतोनी संख्या 76 में दर्ज है जिसमें मृतक खुमगिरी की मृत्यु पर वारिसान निगराकार मोहनी, मांगी, प्रेम, शांति व लालगिरी को वारीसान मानते हुए तहसीलदार साहब गंगरार ने नामान्तरण संख्या 278 दिनांक 05.06.2013 को संयुक्त खातेदारी में दर्ज किया है। राजस्व रेकार्ड में मृतक खुमगर के वारिसान निगराकार संख्या 01 से 04 व गैर निगराकार संख्या 01 है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज वारीसान की जांच किये बगैर पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत ने भारी भूल की है। ग्राम पंचायत के नियमों एवं कानून को नजर अंदाज कर पट्टा जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत ने एक तरफा आदेश पारित किया उसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी। गुप्त रूप से निगराकार को बिना नोटिस दिये बिना सुनवाई का अवसर दिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन कर एक तरफा पट्टा जारी किया है जिसकी कतई जानकारी निगराकार को नहीं हुई। सर्व प्रथम जानकारी निगराकार को बंटवारे का वाद जिला न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ के यहां प्रस्तुत कर रखा है जिसके प्रकरण संख्या 39/2015 है उसमें दिनांक 08.12.2015 को गैर निगराकार संख्या 1 लालगिरी ने जवाब प्रस्तुत कर बताया कि गुवाडी का पट्टा उसके नाम ग्राम पंचायत ने जारी कर रखा है। जवाब देने से जानकारी होते ही ग्राम पंचायत में जाकर नकल आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने की नकले दिनांक 17.12.2015 को दी गई और निगरानी तैयार करवा बिना किसी देरी से आज निगरानी प्रस्तुत है। इस प्रकार देरी जानकारी के अभाव में हुई है। देरी से निगरानी प्रस्तुत करने हेतु दफा 5 कानून मियाद आवेदन व शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार/प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत सुवानिया का पट्टा जारी करने का आदेश निरस्त फरमाया जाकर निगराकार को सुनकर तथा वारिसान की जांच करा सभी वारिसान के नाम पट्टा जारी करने का आदेश प्रदान करावे। अधिवक्ता निगराकार की बहस के जवाब में विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि गैर निगराकार ग्राम पंचायत सुवानिया द्वारा दिनांक 26.08.2013 को पट्टा संख्या 33 विपक्षी उत्तरदाता को विधि अनुसार जारी कर रसीद संख्या 85 दिनांक 20.09.2013 से राशि 200/–रू जमा कर पट्टा जारी किया और उक्त पट्टे को ग्राम पंचायत सुवानिया के पदेन सरपंच द्वारा विपक्षी उत्तरदाता के पक्ष में उप पंजीयक गंगरार के यहां पंजीकृत किया गया। ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पंचायत की समस्त कार्यवाहियां विधि अनुसार की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम भवानीपुरा के उक्त आवासीय पट्टे को विधि अनुसार विपक्षी उत्तरदाता को जारी किया है। जिसमें प्रार्थीगण निगराकार का कोई हक अधिकार कब्जा उपयोग उपभोग नहीं है। उक्त भूखण्ड जायदाद विपक्षी उत्तरदाता वैधानिक अधिकार एवं आधिपत्य की है जिसके आधार पर ग्राम पंचायत ने विधि अनुसार विपक्षी उत्तरदाता के पक्ष में पट्टा जारी किया है और पंजीकृत करवाया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार विपक्षी उत्तरदाता के तन्हां वैधानिक आधिपत्य कब्जे उपयोग उपभोग के भूखण्ड मकान प्रार्थीगण/निगराकार का कोई वैधानिक अधिकार नहीं बनता है। विपक्षी गैर निगराकार ने ग्राम पंचायत में विधि अनुसार कार्यवाहियां प्रस्तुत की है जिसके आधार पर पट्टा जारी किया गया है। मृतक लालगर की कृषि भूमि का कोई नामान्तरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं खोला गया। ग्राम पंचायत ने उक्त भूखण्ड के संदर्भ में विधिवत रूप से जांच कर पट्टा जारी किया है। प्रार्थीगण उक्त गुवाडी भूखण्ड के संदर्भ में कोई कानूनी अधिकार नहीं रखती है। राजस्थान पंचायत राज नियम के कानूनी प्रावधानों के तहत सभी प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। मेडीखेडा एवं भवानीपुरा एक ही गांव के नाम है। निगराकार/प्रार्थीगण का विवाह कई वर्षो पूर्व हो चुका है और सभी अपने–अपने ससुराल में रह रही है। प्रश्नगत भूखण्ड मकान में किसी भी निगराकार का कोई कब्जा उपयोग–उपभोग नहीं है। गैर निगराकार विकलांग (दिव्यांग) है इस स्थिति का नाजायज लाभ उठाने का प्रयास निगराकार द्वारा किया जा रहा है एवं येन–केन प्रकारेण उत्तरदाता को परेशान करने की नियत से यह गलत तथ्य अंकित कर निगरानी प्रस्तुत की है जो निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी गैर निगराकार को जारी पट्टे की जानकारी प्रारंभ से ही रही है। निगराकार प्रार्थीगण ने विपक्षी को परेशान करने की नियत से जिला न्यायधीश महोदय में भी वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमे निगराकार प्रार्थीगण द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैर निगराकार प्रस्तुत किया था जिसके प्रकरण संख्या 39/2015 विविध दीवानी में न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2015 को निर्णय व आदेश पारित कर उक्त निगराकार के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का आदेश पारित फरमा रखा है जो यथावत है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार उत्तरदाता के पक्ष में आबादी भूखण्ड मकान का पट्टा जारी कर उप पंजीयक कार्यालय गंगरार में पंजीकृत करवा रखा है इस कारण पंजीकृत दस्तावेज के संदर्भ में केवल सिविल न्यायालय में ही चाराजोही की जा सकती है। निगरानी माननीय न्यायालय क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। पूर्व में निगराकार प्रार्थीगण द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में इसी भूखण्ड के संबंध में इन्हीं पक्षकारों के मध्य सिविल वाद दर्ज होकर विचाराधीन है। इस कारण भी यह निगरानी प्रार्थना पत्र विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है। निगरानी मियाद बाहर होने से भी निरस्त होने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगराकार ने अपनी बहस समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने बताया कि ग्राम पंचायत में लालगिरी ने कब आवेदन दिया उसकी तारीख मिति अंकित नहीं है। गांव का नाम उल्लेख नहीं है तथा गुवाडी के वैद्य वारिसान होने का कोई दस्तावेज भी रेकार्ड पर नहीं होते हुए दिनांक 26.06.2015 को दर्ज रजिस्टर करने में भारी भूल की है तथा राजस्थान पंचायत नियम 1996 के नियम 146 के तहत वारिसान की जांच किये बगैर सदस्यों की नियुक्ति की है। उक्त गुवाडी के रामचन्द्र व नारायण पडौसी भी नहीं है। गुवाडी के पडौस उत्तर में भीमा जाट व कमालुद्दीन का मकान, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम में आम रास्ता वर्णित किया है। उक्त पडौसियों से कोई जांच नहीं की गई। लालगिरी गैर निगराकार के आवेदन में वर्णित पडौस व पट्टे में वणित पडौस में भारी भिन्नता है। आवेदन में वर्णित पडौस से पट्टे में वर्णित पडौस में भिन्नता होने से प्रथम दृष्टया ही अवैध एवं गैर कानूनी पट्टा जारी करना प्रमाणित है, नक्शा जो तैयार किया है उसमें पडौस भी भिन्न–भिन्न दर्शाये गये है। नक्शा लाल गिरी ने बनवाया उसके पडौस पट्टे व आवेदन से मैल नहीं खाते है। निरीक्षण रिपोर्ट नियम 146 के विरूद्व तैयार कर नियमों का खुला उल्लंघन किया है। स्वामित्व विवादित है। गैर निगराकार के द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड, पहचान पत्र, शपथ पत्र में निवासी मेडीखेडा अंकित है जबकि पट्टा ग्राम भवानीपुरा का जारी करना बताया है जो भी भिन्नता स्पष्ट है। सूचना पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया है वह किसी को भी तामिल होना प्रमाणित नहीं है। शपथ पत्र में ही पडौस भिन्न है। आवेदन शपथ पत्र में भी पट्टा पैतृक पुश्तैनी बापोती का होना प्रमाणित है। व निगराकार का हिस्सा भी हर तरह प्रमाणित है जिससे ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any partyunless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudical to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any reason interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.

(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ4(10)पराविं/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया हैं। निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में विवादित पट्टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता हैं। जहॉ तक गैर निगराकार द्वारा निगरानी के मियाद का विषय में तथ्य उठाये गये है तो इस संबंध में निगराकार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 निगरानी के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसमें निगराकार द्वारा विलम्ब के युक्ति-युक्त कारण अंकित किया गया है।

हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रकियात्मक प्रावधान किये गये है। उक्त प्रावधानों के अनुसार नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। पंचायतीराज नियम, 1966 के नियम 157 में निम्नानुसार प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। विनियमितीकरण किये जाने के संबंधमें पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 147, 148 एवं 149 के तहत कार्यवाही किये जाने के प्रावधाना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

147. **Provisional decision.-**

(1) The Panchayat shall then provisionally decide at a meeting whether the proposed sale should or should not be made.

(2) If it decides not to make the sale, the application shall be rejected and the fact shall be communicated to the applicant. In such case, applicant shall not be entitled to any refund of fee.

148. **Issue and publication of notice.-**

(1) If the Panchayat provisionally decides that the sale should be made, it shall publish a notice in Form XXII inviting objections to the proposed sale with one month from the date of publication on the manner laid down in Sub-rule (2).

[Provided that during the period 24.2.2005 to 23.3.2005 period of inviting objections will be seven days in place of one month.]

[Provided that [during the Rajasv abhiyan or Prashasan Gaon ke sang abhiyan or any other abhiyan organised by order of the State Government for sale of land and Patta Vitran], period of inviting objections shall be seven days in place of one month.]

(2) The notice referred to in Sub-rule (1) shall be prepared in duplicate and one copy thereof shall be affixed to a conspicuous place on the proposed to be sold, the other copy being returned to the Panchayat Office after obtaining the signatures of at-least two respectable persons of the locality thereon, in token of such affixation.

149. **Disposal of objections.-**

The objections, if any, received in response to the notice issued under Rule 148 shall be disposed of by the Panchayat after giving the parties concerned a responsible opportunity of being heard.

157. **Regularisation of old houses.-**

[1][Where the persons are in possession of the old houses in Abadi land and desire to get a patta issued, patta may be issued by the Panchayat in Form XXIII-A after depositing the charges as under : -

(a)	For old houses constructed more than fifty years before the date of commencement of these rules	Rs. 100 /-
(b)	For old houses constructed [during the seventy years immediately preceding to date of 31st December, 2016].	Rs. 200/-

[2][Provided that no fees shall be charged under sub-clause (a) an only 10 percent fees shall be charged under sub-clause (b) of clause (i) above from the families included in the list of below poverty line.]

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत सुवानिया से प्राप्त अभिलेख का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितकरण के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। प्रावधानुसार जहॉ व्यक्तियों के कब्जे से आबादी भूमि में पुराने गृहों हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो वह नियमानुसार राशि कराये जाने के पश्चात् पंचायत द्वारा पट्टे जारी किया जा सकेगा। अधीनस्थ ग्राम पंचायत सुवानिया द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को जरिये मिसल संख्या 33 से उक्त विवादित पट्टा संख्या 33 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.08.2013 जारी किया गया। उक्त मिसल पत्रावली की छाया प्रति रिकार्ड पर है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा मूल पत्रावली प्रस्तुत नहीं कर छाया प्रति प्रस्तुत की जो कि शामिल पत्रावली है। मिसल के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवेदक गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ ग्राम पंचायत सुवानिया को पुराने गृह का पट्टा जारी किये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया। मिसल की आज्ञाओं की सूची दिनांक 20.06.2013 से पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आगामी कौरम में कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया किन्तु दिनांक 20.06.2013 को ही अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक के प्रार्थना पत्र के आधार पर पुश्तैनी भूमि का नक्शा पंचायत के 3 सदस्यगणों द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश दिये गयें। आज्ञा दिनांक 08.07.2013 के अनुसार पुश्तैनी भूमि का नक्शा व पंचायत के 3 सदस्यों द्वारा की गई निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत हुई एवं इस बाबत् आपत्ति बाबत् एक माह का आपत्ति पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिये गये। आज्ञा दिनांक 08.07.2013 अनुसार राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति आवहान पत्र जारी करने एवं बाद मयाद समाप्ती पत्रावली कोरम में प्रस्तुत करने की आज्ञा जारी की गई। आज्ञा दिनांक 21.08.2013 के अनुसार आपत्ति पत्र जारी किया गया अन्दर मियाद कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, अतः सर्वसम्मति से पट्टा जारी किये जाने का निर्णय किया गया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत 50वर्षो के दौरान निर्मित गृहों के विनियमितीकरण अन्तर्गत राशि 200/- रूपये एवं पट्टा शुल्क 100 रूपये कुल तीन सौ रूपये जमा कराये जाने के पश्चात् प्रार्थी के नाम पट्टा जारी करने का अंतिम निर्णय उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से लिया गया तथा उक्त राशि 15 दिवस में जमा कराने पर ही पट्टा तैयार किया जावें। हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत सुवानिया द्वारा प्रेषित रोकड बही वर्ष 2013-14 का अवलोकन किया। हमने रोकड बही के पृष्ठ संख्या 23 के दिनांक 20.09.2013 के क्रम संख्या 2 पर अंकित विवरण का अवलोकन किया। विवरणानुसार रसीद संख्या 85 दिनांक 20.09.2013 से लालगिरी पिता खुमगिरी गुसाई से रूपये 1300/- अक्षरे तेरह सौ रूपये का विनियमिती पट्टा, विकास शुल्क जमा किया गया। ग्राम पंचायत सुवानिया के बैठक कार्यवाही विवरण वर्ष 2013-14 का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत सुवानिया द्वारा मिसल संख्या 33 की आज्ञाओं की सूची में आज्ञा दिनांक 08.07.2013 को अंकित किया गया है कि 3 सदस्यगणों द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है किन्तु उक्त रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर होता है कि 3 पंचों द्वारा दिनांक 08.07.2013 को ही देखा गया। और कौरम में दिनांक 08.07.2013 को ही प्रस्तुत कर दिया गया, जो कि संशय का विषय है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत सुवानिया द्वारा जारी आबादी भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस दिनांक 08.07.2013 को जारी किया गया है उक्त नोटिस में आक्षेप की अवधि एक मास अंकित की गई है। उक्त नोटिस किस प्रकार से प्रचारित किया गया है इसका अंकन नोटिस पर नहीं है। उक्त नोटिस के चस्पा किया जाना जाहिर नहीं होता है। आज्ञा दिनांक 21.08. 2013 के अनुसार आवेदक द्वारा 15 दिवस में शुल्क जमा कराये जाने पर ही पट्टा जारी किया जावें, जबकि विवादित पट्टा संख्या 33 दिनांक 26.08.2013 को ही जारी किया गया। इसके साथ राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में स्पष्ट प्रावधान किये गये है कि आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात् ही पट्टा जारी किया जा सकता है जबकि आवेदक द्वारा राशि रूपये 1300/– अक्षरें तेरह सौ रूपये दिनांक 20.09.2013 को जमा कराये गये है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि उक्त विवादित भूखण्ड जिसका पट्टा संख्या 33 दिनांक 26.08. 2013 अधीनस्थ ग्राम पंचायत सुवानिया द्वारा जारी किया गया है, उक्त पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत सुवानिया द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के विधिक प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं की जाकर विधिक भूल किया जाना जाहिर होता है।

हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस का मनन चिंतन किया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 का अवलोकन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त विवादित भूखण्ड का पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है जिसे उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। जहॉ निगराकारान, गैर निगराकार की मुताबिक सजरा बहिने है जिसे गैर निगराकार संख्या 1 स्वीकार किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत सुवानिया द्वारा विवादित भूखण्ड का पट्टा जारी किये जाने के समय इस तथ्य की अनदेखी किया जाना जाहिर होता है। उपयुक्त विवेचन से जाहिर होता है कि जहॉ अधीनस्थ ग्राम पंचायत सुवानिया द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितिकरण के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत सुवानिया द्वारा त्रुटि कारित की गई है। इसके साथ निगरानी पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत प्रस्तुत की गई है जिसमें अधिनियम की धारा 97 के प्रावधानों के तहत ही विचार किया जाना है। अधिनियम की धारा 97 में अंकित प्रावधानों के अनुसरण में उक्त विवादित पट्टा संख्या 33 दिनांक 26.08.2013 की ही परीक्षण किया जाना है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पट्टे का परीक्षण किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत पंचायतीराज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के परीक्षण का ही प्रावधान है। ऐसी स्थिति में विवादित पट्टा संख्या 33 दिनांक 26.08.2013 को खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा उठाये गये विवादित पट्टा संख्या 33 दिनांक 26.08.2013 के संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के गहनता पूर्वक परीक्षण करने पर न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ ग्राम पंचायत सुवानिया द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितिकरण के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत सुवानिया द्वारा त्रुटि कारित की गई है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य प्रतीत होती है, एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत सुवानिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 33 दिनांक 26.08.2013 जो कि गैरनिगराकार संख्या 1 लालगिरी पिता खुमगिरी जाति गुसाई निवासी मेडीखेडा के पक्ष में जारी किया गया है को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत सुवानिया को निर्देश दिये जाते है कि उक्त विवादित भूखण्ड के संबंध में पक्षकारान द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के तहत विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर नियमानुसार पूर्ण प्रक्रिया की पालना की जाकर उक्त विवादित भूखण्ड के संबंध में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी गंगरार को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **15.04.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:28 IST
Reason: SelfAttested